



इलाहाबाद उच्च न्यायालय,

रिट - ए संख्या - 938/2026

शिवम यादव

.....याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ एवं अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : अंकित कुमार यादव, दीपक कुमार कुलश्रेष्ठ,

प्रतिवादी के अधिवक्ता : पुष्प राज सिंह
: ए.एस.जी.आई., पंकज कुमार

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री दीपक कुमार कुलश्रेष्ठ तथा प्रतिवादियों की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री पंकज कुमार को सुना गया।
2. याचिकाकर्ता का कहना है कि दिनांक 05.09.2024 को सीएपीएफ में कांस्टेबल (जीडी) पद हेतु प्रकाशित विज्ञापन के तहत उसने आवेदन किया और चयन प्रक्रिया में भाग लिया। किन्तु चिकित्सीय परीक्षण में उसे अयोग्य घोषित कर दिया गया, क्योंकि उसका हीमोग्लोबिन 8.7 ग्राम पाया गया। इसके बाद पुनः चिकित्सीय परीक्षण हुआ, जिसमें यह 11.5 ग्राम पाया गया। तथापि, याचिकाकर्ता के अनुसार उसने तेज बहादुर सप्रू अस्पताल, प्रयागराज से जांच कराई, जिसमें हीमोग्लोबिन 12.04 ग्राम पाया गया।
3. वर्तमान रिट याचिका में प्रार्थना की गई है कि प्रतिवादियों को हीमोग्लोबिन की पुनः चिकित्सीय जांच कराने का निर्देश दिया जाए।
4. प्रतिवादियों के अधिवक्ता का कहना है कि मूल चिकित्सीय परीक्षण एवं पुनः चिकित्सीय परीक्षण में हीमोग्लोबिन क्रमशः 8.7 एवं 11.5 पाया गया, जो विशेषज्ञों की रिपोर्ट पर आधारित है। उनके अनुसार नियमों में तीसरी बार चिकित्सीय परीक्षण कराने का कोई प्रावधान नहीं है, विशेषकर तब जब याचिकाकर्ता स्वयं के अनुकूल रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा है।
5. न्यायालय ने पक्षकारों की दलीलों को सुना तथा अभिलेखों का अवलोकन किया।
6. न्यायालय की राय में, जब एक बार चिकित्सीय परीक्षण एवं पुनः चिकित्सीय परीक्षण हो चुका है और उसमें हीमोग्लोबिन निर्धारित मानक से कम पाया गया है, तब केवल इस आधार पर कि याचिकाकर्ता के पास एक अलग रिपोर्ट है, उसे तीसरी बार चिकित्सीय परीक्षण की मांग करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता। इस संबंध में कोई प्रावधान भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, हीमोग्लोबिन का स्तर भोजन एवं सप्लीमेंट्स पर निर्भर करता है, जो समय-समय पर बदल सकता है।
7. अतः, कोई आधार नहीं बनता। रिट याचिका निरस्त की जाती है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



जनवरी 28, 2026

एन. एस.राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"